न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलियां, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 01/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स्
1. सीतादेवी पत्नी भबूतराम		1. सरपंच ग्राम पंचायत आ.कालू, तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
2. सरोज पुत्री भबूतराम जातियान-जाट, निवासीगण-बस्सी आ.कालू, तहसील-जैतारण, जिला-पाली		

अपील विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 2040, 1508, 2039 सरहद मौजा-आ.कालू, पटवार हल्का-आ.कालू दिनांक 05/12/2017 को पारित म्यूटेशन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.18/01/2018

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अपीलान्ट।

दिनॉकः 20/09/2018

-:: निर्णयः-

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा -75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध रेस्पोडेन्टान इस आशय की पेश की हैं कि सरहद मौजा-आ.कालू द्वितीय पटवार हल्का आ.कालू द्वितीय, तहसील-जैतारण जिला पाली में अपीलांट की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1026 रकबा 9-15 बीघा, खसरा नम्बर 1031 रकबा 20-01 बीघा, खसरा नम्बर 254 रकबा 2-07 बीघा, खसरा नम्बर 255 रकबा 0-16 बीघा, खसरा नम्बर 243 रकबा 0-11 बीघा, खसरा नम्बर 424 रकबा 4-19 बीघा, खसरा नम्बर 266 रकबा 1-06 बीघा, खसरा नम्बर 434 रकबा 2-00 बीघा, खसरा नम्बर 469 रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 490 रकबा 0-04 बीघा की आई हुई है। नकल जमाबंदी म्युटेशन अपील के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी अपीलांट की पैतृक पुश्तैनी आराजी है। और जिनका उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र रेस्पोडेंट के यहां से क्रमांक/पंचायत/17 दिनांक 27/07/2017 को जारी हो रखा है। जिसके अनुसार उपरोक्त आराजी में अपीलांट का हिस्सा निम्न वंश वृक्षावली से स्पष्ट होता है।

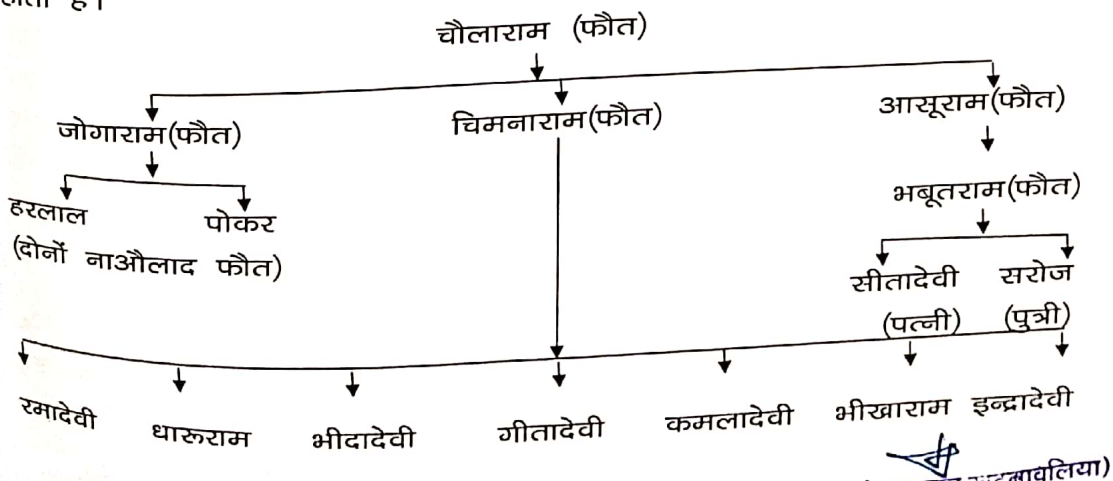

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त वर्णित वंशावली अनुसार चैलाराम के तीन पुत्र थे और तीनों पुत्र फौत हो गये एवं फौत होने के बाद उनके वारिसान का उनके हक हिस्से की आराजी में नाम इन्द्राज हो गया जिसमें जोगाराम जो कि चैलाराम जी का सबसे बड़ा पुत्र था। जोगाराम के फौत होने के बाद उनकी आराजी में उनके दो पुत्र हरलाल व पोकर के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ एवं उन्होंने अपने जीवन काल में अपने हिस्से की आराजी का उपयोग किया। तत्पश्चात हरलाल व पोकर दोनों की मृत्यु हो गई। एवं मृत्यु के समय उनके कोई औलाद एवं वारिसान नहीं था। इस प्रकार से वंशावली के अनुसार जोगाराम की जो पीढी थी। वह हरलाल व पोकर की मृत्यु के बाद खत्म हो गई अर्थात् इनके परिवार में कोई वारिस जीवित नहीं रहने से इनका वंश खत्म हो गया। नकल रेस्पोडेंट द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हरलाल, पोकर पिता जोगाराम की फोटो प्रति म्यूटेशन अपील साथ पेश है। जोगाराम का वंश खत्म होने के बाद चैलाराम के वारिसान ने द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में चिमनाराम व आसूराम के वारिसान का उपरोक्त वर्णित आराजी में 1/2, 1/2 हक अधिकार माफिक हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बनता है। परन्तु चैलाराम के दोनों पुत्र चिमनाराम व आसूराम फौत हो गये एवं आसूराम का पुत्र भबूतराम भी फौत हो चुका है। एवं आसूराम के वारिसान अपीलांट है। जो चैलाराम की आराजी में जोगाराम का वंश खत्म होने से इस पैतृक पुश्तैनी आराजी में बतौर द्वितीय श्रेणी के वारिसान के रूप में हरलाल व पोकर की आराजी में अपीलांट 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। और इसी अनुरूप रेस्पोडेट के यहां से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि हरलाल व पोकर ना औलाद फौत हो गये एवं अब उनके कोई विधिक वारिसान जीवित नहीं है। इसलिए इनकी आराजी में 1/2 हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज किया जावे। एवं 1/2 हिस्सा चिमनाराम के वारिसान का दर्ज किया जावे। एवं इसी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर पटवारी ने स्वर्गीय हरलाल व पोकर के ना औलाद फौत होने से उनकी द्वितीय श्रेणी के वारिसान के रूप में 1/2 हिस्से में अपीलांट का नाम इन्द्राज कर म्यूटेशन पारित करने हेतु रेस्पोडेंट को पंचायत की बैठक में पत्रावली प्रस्तुत की जिसमें तीनों म्यूटेशन में सम्पूर्ण प्रविष्टियां विरासत के रूप में इन्द्राज कर हल्का पटवारी ने दिनांक 05/12/2017 को पंचायत की बैठक में फौतेदगी म्यूटेशन पास करने हेतु प्रस्तुत किये। परन्तु रेस्पोडेंट द्वारा बिना कोई कारण अंकित किये उक्त तीनों म्यूटेशन संख्या 2040, 1508, 2039 दिनांक 05/12/2017 को अस्वीकृत कर खारिज कर दिया। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा म्यूटेशन को खारिज किया जाता है तो उसके खारिज करने का उल्लेख करना चाहिए परन्तु ऐसा रेस्पोडेंट ने नहीं किया एवं मात्र अस्वीकृत लिखकर खारिज कर दिया जो काबिल अपास्त के है। अपीलांट ने स्वर्गीय हरलाल व पोकर की आराजी में अपना 1/2 हिस्से में नाम इन्द्राज करवाने बाबत् शपथ पत्र भी पेश किया एवं उस शपथ पत्र में भी आराजी ने उनका 1/2 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बनता है। उसका स्पष्ट उल्लेख किया एवं जब रेस्पोडेंट ने स्वयं ने पंचायत की बैटक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर चैलाराम के वारिसान की जांच कर एक हरलाल व पोकर के फौत होने के बाद उनकी आराजी में उनकी द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी जो अपीलांट व चिमनाराम के वारिसान है। का स्पष्ट उल्लेख किया परन्तु उसके

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बाद भी दिनांक 05/12/2017 को तीनों म्यूटेशन खारिज हुये म्यूटेशन संख्या 2040, 1508, 2039 को अपास्त करते हुये नये सिरे से अपीलांट के नाम हरलाल व पोकर की आराजी 1/2 हिस्से में अपीलांट का नाम इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदियों में अमल दरामद करवाया जावे। इसलिए यह अपील विरूद्व रेस्पोडेट के सादर पेश है। रेस्पोर्डेट द्वारा अपीलांट के नाम हल्का पटवारी द्वारा इन्द्राज किये गये म्यूटेशन को खारिज करने एवं तीनों म्यूटेशन की प्रमाणित प्रतियां अपीलांट को दिनांक 03/01/2018 को प्राप्त हुई उसके आधार पर यह अपील अंदर म्याद पेश है। अपील से संबंधित अन्य उजरात बर वक्त बहस के निवेदन किया जायेगे। यह अपील श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टान् को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट ने जवाब अपील पेश किया सामिल मिसल किया गया। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। वस्तुतः ग्राम पंचायत आ. कालु द्वारा वंश वृशावली का प्रमाण पत्र जारी किया कि मूल पुरूष चेलाराम फौत के विधिक वारिस जोगाराम, चिमनाराम व आसूराम तीन पुत्र हैं। जोगाराम फौत के दो वारिस हरलाल व पोकर दोनो नाऔलाद फौत हुए जिसके कोई वंश नही हैं। चिमनाराम फौत के वारिसान जीवित हैं एवं आसूराम फौत के भभूतराम, भभूतराम फौत के दो पुत्रिया जीवित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा हरलाल व पोकर दोनो नाऔलाद फौत का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2040, 1508, 2039 भरा गया जिसे निरस्त किया गया हैं। वकील अपीलान्ट ने बहस में जाहिर किया कि हरलाल व पोकर दोनो नाऔलाद फौत हुए जिसके कोई वंश नही हैं, चूंकि हरलाल व पोकर के पिता जोगाराम के चिमनाराम व आसूराम सगे भाई हैं, इनके अलावा और कोई नजदीकी वारिस नही हैं। वंशावली अनुसार चैलाराम के तीन पुत्र थे और तीनों पुत्र फौत हो गये एवं फौत होने के बाद उनके वारिसान का उनके हक हिस्से की आराजी में नाम इन्द्राज हो गया जिसमें जोगाराम जो कि चैलाराम जी का सबसे बड़ा पुत्र था। जोगाराम के फौत होने के बाद उनकी आराजी में उनके दो पुत्र हरलाल व पोकर के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ एवं उन्होंने अपने जीवन काल में अपने हिस्से की आराजी का उपयोग किया। तत्पश्चात हरलाल व पोकर दोनों की मृत्यु हो गई। एवं मृत्यु के समय उनके कोई औलाद एवं वारिसान नहीं था। इस प्रकार से वंशावली के अनुसार जोगाराम की जो पीढी थी। वह हरलाल व पोकर की मृत्यु के बाद खत्म हो गई अर्थात् इनके परिवार में कोई वारिस जीवित नहीं रहने से इनका वंश खत्म हो गया। उत्तराधिकारी के रूप में चिमनाराम व आसूराम के वारिसान का उपरोक्त वर्णित आराजी में 1/2, 1/2 हक अधिकार माफिक हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बनता है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उक्त फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2040, 1508, 2039 को निरस्त करने का आदेश फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। लिहाजा उक्त फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2040, 1508, 2039 को निरस्त किया जाना एवं तहसीलदार जैतारण को रिमान्ड इस निर्देश के प्रतिप्रेषित की जाकर कि जोगाराम के वारिसान हरलाल व पोकर दोनो नाऔलाद फौत के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण भरने की कार्यवाही करने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार जाती हैं। सरहद मौजा–आ.कालू द्वितीय पटवार हल्का आ.कालू द्वितीय, तहसील–जैतारण जिला पाली में अपीलांट की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1026 रकबा 9–15 बीघा, खसरा नम्बर 1031 रकबा 20–01 बीघा, खसरा नम्बर 254 रकबा 2–07 बीघा, खसरा नम्बर 255 रकबा 0–16 बीघा, खसरा नम्बर 243 रकबा 0–11 बीघा, खसरा नम्बर 424 रकबा 4–19 बीघा, खसरा नम्बर 266 रकबा 1–06 बीघा, खसरा नम्बर 434 रकबा 2–00 बीघा, खसरा नम्बर 469 रकबा 1–13 बीघा, खसरा नम्बर 490 रकबा 0–04 बीघा में ग्राम पंचायत द्वारा जोगाराम के वारिसान हरलाल व पोकर दोनो नाऔलाद फौत के फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2040, 1508, 2039 भरा गया जिसे निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को रिमान्ड कर आदेश दिया जाता हैं कि जोगाराम के वारिसान हरलाल व पोकर दोनो नाऔलाद फौत के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार जैतारण को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 20/09/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner